

कार्यालय
वन संरक्षक, दक्षिणी परिमंडल, गुरुग्राम
वन विभाग, हरियाणा सरकार,
वन परिसर, सोहना रोड़, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष/फैक्स - 0124-2655406

क्रमांक:- 3052

दिनांक:- 22-11-19

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,
नूह ।

विषय: Diversion of 3.35 ha. of forest land for laying drinking water pipeline (DI Pipeline) of size 200, 300, 600 mm for supply of drinking water to various village Ranyala, Agon, Hasanpur, Bilonda, Kolgaon & Sakras etc. under Forest Division & Distt. Mewat-Nuh.

संदर्भ: आपका पत्र क्र0 1122 दिनांक 08.11.2019

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको लिखा जाता है कि संदर्भित पत्र द्वारा जो प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजा है उसमें निम्नलिखित कमियाँ हैं :

1. CA Scheme is not site specific.
2. The damage of tree felled have not been included.

अतः प्रस्ताव मूल रूप में वापिस भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि दर्शाई गई कमियों को तुरन्त दूर करके प्रस्ताव शीघ्र इस कार्यालय को भेजें । यह आपको आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

वन संरक्षक दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम ।